

//1//

—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 30/2025

उनवान

कानाराम पुत्र श्रीकिशन जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद

— प्रार्थी :- जरियें अधिकता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— अप्रार्थी :- जरियें जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :-

दिनांक :- 18.11.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 5480/4987 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 4981 ये मुख्य रास्ता 4957 का उपयोग किया जाता है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अतः प्रार्थी को अप्रार्थी की आराजी में से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 5480/4987 रकबा 2.02 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। खसरा नम्बर 4957 गै.मु. रास्ता है व खसरा नम्बर 4981 रकबा 6.38 सिवायचक है। प्रार्थी अपनी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 4981 में से रास्ता चाहता है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित मार्ग का ही उपयोग करता है। मार्ग दिये जाने की अनुशंसा की गयी है। अन्य वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख नहीं है। मौका रिपोर्ट पर प्रकरण का कोई खण्डन नहीं है। मौका रिपोर्ट से मार्ग की आत्यंतिक आवश्यकता सिद्ध होती है। प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा 30 फिट चौड़ा मार्ग चाहा है। किन्तु कृषि कार्य के लिये 15 फिट मार्ग दिया जाना उचित होगा।

उक्तानुसार ग्राम सनोद के हाल खसरा नम्बर 4981 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। खसरा नम्बर 4981 में से कुल 1417 वर्ग मीटर भूमि (15 फिट चौड़ा) गै.मु. रास्तों के रूप में सिवायचक खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्त भूमि के बदले 1,00,069/ अक्षरे एक लाख उनहतर रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद कराने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

